प्रेस विज्ञप्ति
16/02/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन बुक के संचालन में उनकी भूमिका के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 15.02.2024 को नीतीश दीवान को गिरफ्तार किया है। नीतीश दीवान को माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जिसने 24.02.2024 तक 8 दिनों के लिए ईडी को हिरासत दी।

ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया गया। मैसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक व्यापक सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक बहुस्तरीय जाल के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करता है।

ईडी की जांच में पता चला कि नीतीश दीवान यूएई में महादेव ऑनलाइन बुक के उच्चतम स्तर पर काम कर रहा था। वह महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के इस हद तक करीब था कि प्रमोटरों ने उसे सट्टेबाजी संचालन स्थापित करने के अवसर तलाशने के लिए जिम्बाब्वे भेजा था। पाया गया कि नीतीश दीवान के पास उनके नाम पर संपत्ति थी, जिसका लाभकारी स्वामित्व महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के पास था। उन्हें महादेव ऑनलाइन बुक के अवैध संचालन की पूरी जानकारी थी। वह संयुक्त अरब अमीरात में बैंक खाते रखता था और धन की आवाजाही के लिए इन बैंक खातों का संचालन कर रहा था। उनके नाम पर यूएई में कंपनियां भी स्थापित की गई हैं। इन कंपनियों ने दुबई में काम करने वाले महादेव ऑनलाइन बुक के कर्मचारियों को वीजा सेवाएं प्रदान की और अवैध सट्टेबाजी आय की आवाजाही के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इस प्रकार, नीतीश दीवान को जानबूझकर महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों को उनकी धन शोधन गतिविधियों में सहायता करते हुए पाया गया।

इस मामले में, पीएमएलए, 2002 के तहत की गई तलाशी के दौरान कुल चल संपत्ति 572.41 करोड़ रुपए जब्त/जमा किए गए हैं। दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें 142.86 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। मामले में अभियोजन शिकायतें दिनांक 20.10.2023 और 01.01.2024 दर्ज की गई हैं। इस मामले में अब तक नीतीश दीवान समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

आगे की जांच जारी है।